



मध्यप्रदेश शासन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन

2015-2016

विभागीय मंत्री	श्री कुंवर विजय शाह
प्रमुख सचिव	श्री अशोक बर्णवाल
उप सचिव	श्री बी.के. चन्देल
अवर सचिव	श्रीमती मंदा राठौर
विभागाध्यक्ष	1 डॉ. मनोहर अगनानी आयुक्त खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
	2 श्री एस.के. जैन नियंत्रक नाप तौल श्री अवधेश कुमार श्रीवास्ताव रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग
आयोग	
निगम	1 श्री फैज अहमद किदवई प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन
	2 श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन



खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

प्रस्तावना-

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत दो विभागाध्यक्ष कार्यालय यथा- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय एवं नियंत्रक नाप-तौल हैं। इसके अतिरिक्त राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग भी है, जिनके माध्यम से उपभोक्ता संरक्षण संबंधी मामलों के निवर्तन का कार्य किया जाता है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत दो निगम हैं, 1. मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज़ कार्पोरेशन 2. मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लाजिस्टिक कार्पोरेशन।

विभाग द्वारा प्रतिपादित नीति संबंधी विषय निम्नानुसार हैं -

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का क्रियान्वयन।
2. खाद्यान्न का उपार्जन।
3. पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री और वितरण पर नियंत्रण।
4. थोक और फुटकर मूल्यों का संकलन।
5. बांट और माप का प्रमाणीकरण।
6. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन राज्य में उपभोक्ताओं की शिकायतों का प्रतितोषण।

विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम -

1. मध्यप्रदेश कृषि भंडारगृह अधिनियम, 1947
2. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955
3. चोर बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980
4. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986
5. विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009
6. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013

विभाग द्वारा प्रशासित नियम -

1. मध्यप्रदेश कृषि गोदाम नियम, 1961
2. मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987
3. मध्यप्रदेश नाफ्था (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) नियम, 2000
4. मध्यप्रदेश विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) नियम, 2000

5. मध्यप्रदेश उपभोक्ता कल्याण निधि नियम, 2009
7. विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011
8. विधिक माप विज्ञान (डिब्बा बंद वस्तु) नियम, 2011
9. विधिक माप विज्ञान (संख्यांक) नियम, 2011
10. मध्यप्रदेश विधिक माप विज्ञान नियम, 2011

विभाग अंतर्गत प्रशासित भारत सरकार के नियंत्रण आदेश -

1. स्नेहक तेल और ग्रीस (प्रसंस्करण, प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 1987
2. केरोसीन (उपयोग पर निर्बन्धन तथा अधिकतम कीमत नियतन) आदेश, 1993
3. खाद्य तेल पैकेजिंग (विनियमन) आदेश, 1998
4. पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण, प्रदाय का रखरखाव) आदेश, 1999
5. विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय भण्डारण और ऑटोमोबाईल में उपयोग का निवारण) आदेश, 2000
6. द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय तथा वितरण विनियमन) आदेश, 2000
7. नाप्था (अर्जन, विक्रय भण्डारण और आटोमोबाईल में उपयोग का निवारण) आदेश, 2000
8. द्रवित पेट्रोलियम गैस (मोटर यानों में उपयोग का विनियमन) आदेश, 2001
9. मोटर स्पिरिट तथा हाईस्पीड डीजल ऑयल (प्रदाय तथा वितरण का नियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 2005
10. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015

विभाग अंतर्गत प्रशासित राज्य सरकार के नियंत्रण आदेश-

1. मध्यप्रदेश नमक(नियंत्रण) आदेश, 1963
2. मध्यप्रदेश केरोसीन व्यापारी (अनुज्ञापन) आदेश, 1979
3. मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट तथा हाईस्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1980
4. मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015
5. मध्यप्रदेश आवश्यक वस्तु व्यापारी (स्टॉक सीमा तथा जमाखोरी पर निर्बन्धन) आदेश 2015

संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण स्थापना

संचालनालय - स्वीकृत पद

1.	आयुक्त	1
2.	अपर संचालक	2
3.	संयुक्त संचालक	4
4.	उप संचालक	4
5.	उप संचालक (लेखा)	1
6.	सहायक संचालक	6
7.	तृतीय वर्ग कर्मचारी	70
8.	चतुर्थ वर्ग कर्मचारी	13

जिला कार्यालय - स्वीकृत पद

1.	जिला आपूर्ति नियंत्रक	10
2.	जिला आपूर्ति अधिकारी	41
3.	सहायक आपूर्ति अधिकारी	146
4.	कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी	400
5.	लिपिक वर्गीय कर्मचारी	252
6.	चतुर्थ वर्ग कर्मचारी	123

मुख्य कार्य -

1. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त आवश्यक वस्तुओं का आवंटन जारी करना एवं जारी आवंटन के उठाव एवं वितरण का पर्यवेक्षण।
2. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत बने नियंत्रण आदेशों का परिपालन कराना।
3. भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर गेहूं, धान, तथा मोटे अनाज (ज्वार, बाजरा एवं मक्का) के उपार्जन की व्यवस्था कराना।
4. विधिक एवं बजट नियंत्रण संबंधी समस्त कार्य।
5. उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित गतिविधियों का संचालन।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन

- मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधान अनुसार)

प्रदेश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दिनांक 01 मार्च, 2014 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधान अनुसार प्रारम्भ किया गया। माह मार्च, 2014 में लगभग 92 लाख परिवारों एवं 3.88 करोड़ जनसंख्या को रु. 1 प्रति किलोग्राम खाद्यान्न, रु. 1 प्रति किलोग्राम नमक तथा रु. 13.50 प्रति किलोग्राम शक्कर का वितरण प्रारम्भ किया गया।

- ❖ प्रदेश में अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार एवं प्राथमिकता परिवारों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य प्रतिमाह के मान से खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है।
- ❖ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवारों हेतु भारत सरकार द्वारा गेहूं रु. 2.00 प्रति किलो एवं चावल रु. 3.00 प्रति किलो दिए जाने का प्रावधान है, जबकि मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना अंतर्गत सभी पात्र परिवारों को गेहूं एवं चावल रु. 1.00 प्रति किलो की दर से प्रदाय किया जा रहा है।
- ❖ पात्र परिवारों की संख्या एवं लाभान्वित जनसंख्या में प्रतिमाह वृद्धि हुई एवं फरवरी, 2016 में लाभान्वित परिवारों की संख्या 1,18,57,047 एवं कुल जनसंख्या लगभग 5.44 करोड़ हो गई। जिलेवार पात्र परिवारों की संख्या की जानकारी **परिशिष्ट-एक** पर दर्शित है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष में राज्य शासन द्वारा राशि रु. 410 करोड़ का अनुदान दिया गया है।
- ❖ पात्र परिवारों में अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों के साथ-साथ प्राथमिकता परिवार के रूप में 23 श्रेणियों को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। प्राथमिकता परिवार की श्रेणियों में न सिर्फ समस्त बीपीएल परिवार सम्मिलित किए गए अपितु 22 अन्य श्रेणियों के गैर-बीपीएल परिवारों को भी सम्मिलित किया गया है।

इस प्रकार मध्यप्रदेश में कुल 24 श्रेणियों को पात्र परिवार की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है जो निम्नानुसार हैं -

- **पात्र परिवारों की श्रेणियाँ-**
 1. अन्त्योदय अन्न योजना के परिवार।
 2. प्राथमिकता परिवार-
 - (1) समस्त बीपीएल परिवार।

- (2) समस्त ऐसे व्यक्ति जो मध्यप्रदेश भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक हैं एवं उन पर आश्रित परिवार सदस्य।
- (3) ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त ऐसे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजनांतर्गत भूमिहीन, खेतिहर मजदूर के रूप में पंजीकृत हैं एवं उन पर आश्रित परिवार सदस्य।
- (4) साइकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना एवं हाथ ठेला चालक कल्याण योजना में पंजीकृत व्यक्ति एवं उन पर आश्रित परिवार सदस्य।
- (5) सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पंजीकृत हितग्राही एवं उन पर आश्रित परिवार सदस्य।
- (6) अनाथ आश्रम, निराश्रित विकलांग छात्रावासों में निवासरत बच्चे तथा निःशुल्क संचालित वृद्धाश्रमों में निवासरत वृद्धजन।
- (7) घरेलू कामकाजी महिलाएँ।
- (8) फेरीवाले (स्ट्रीट वेन्डर)।
- (9) वनाधिकार पट्टेधारी।
- (10) रेलवे में पंजीकृत कुली।
- (11) मंडियों में अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटी।
- (12) बन्द पड़ी मिलों में पूर्व नियोजित श्रमिक।
- (13) बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1972 अंतर्गत परिचय पत्र धारी बीड़ी श्रमिक।
- (14) समस्त भूमिहीन कोटवार।
- (15) कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग अंतर्गत पंजीकृत बुनकर एवं शिल्पी।
- (16) केशशिल्पी।
- (17) पंजीकृत बहुविकलांग एवं मन्दबुद्धि व्यक्ति।
- (18) एचआईव्ही (एड्स) संक्रमित व्यक्ति (जो स्वेच्छा से इस योजना का लाभ लेना चाहते हों)।
- (19) मध्यप्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित जाति के परिवार, बशर्ते कि वे प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी का अधिकारी/कर्मचारी एवं आयकर दाता न हो।
- (20) मध्यप्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित जनजाति के परिवार, बशर्ते कि वे प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी का अधिकारी/कर्मचारी एवं आयकर दाता न हो।
- (21) प्रदेश में मत्स्य पालन करने वाले (मछुआ) सहकारी समितियों के अंतर्गत पंजीकृत परिवार/सदस्य।
- (22) प्राकृतिक आपदा से वर्ष 2014-15 में प्रभावित ऐसे परिवार, जिनकी फसलों की प्राकृतिक आपदा से क्षति 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो।
- (23) प्रदेश के पंजीकृत व्यावसायिक वाहन चालक/परिचालक।

- **पात्र परिवारों का डाटा डिजिटাইजेशन-**

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पात्र परिवार के रूप में 5.44 करोड़ हितग्राहियों को सम्मिलित किया गया है। इन सभी हितग्राहियों का डाटा डिजिटাইज्ड किया जा चुका है तथा आमजन की जानकारी के लिए विभागीय पोर्टल (www.food.mp.gov.in) पर उपलब्ध है।

- **पात्रता पर्ची (ई-राशनकार्ड)**

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सत्यापित 11857047 पात्र परिवारों को पात्रता पर्ची (ई-राशनकार्ड) जारी की गई है जिसमें पात्र परिवार एवं सदस्य की आईडी नंबर, नाम, पात्रता श्रेणी, संबंधित उचित मूल्य दुकान का नाम, कोड क्रमांक के साथ-साथ परिवार की राशन सामग्री की पात्रता का उल्लेख है। स्थानीय निकाय द्वारा पात्र परिवार के सत्यापन उपरांत पोर्टल से स्वतः निर्मित पात्रता पर्ची (ई-राशनकार्ड) एक बार जारी की जाती है जब तक कि परिवार की पात्रता में कोई परिवर्तन न हो। विभागीय पोर्टल पर पात्र परिवारों को जारी पात्रता पर्ची आमजन के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराई गई है। पात्रता पर्ची के आधार पर परिवारों को राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है।

 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अनुसार मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनांतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु पात्रता पर्ची खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी उपभोक्ता प्रति (इसे राशन कार्ड पर चस्पा करें)		 शिक्षा
समय परिवार आई डी / मुखिया	21449806 / Kailash	
पात्रता परिवार की श्रेणी / श्रेणी अंतर्गत पंजीयन क्र	बी.पी.एल कार्ड धारक / 48/14/073278	
सदस्यों की संख्या / नाम एवं समय आई डी	7 / JHUMA BAI [105929306], KAILASH [105916953], NANEE BAI [105917519], DURGAPRASAD [105918369], LAKSHMAN SINGH [105919258], KAPIL KUMAR [105920882], MAYA BAI [105927274]	
पता	23, Village-Lasudaliyaghagh Post-Alisariya, Lasudaliyaghagh, Janpad Panchayat, Kalapipal, Shajapur	
उचित मूल्य की दुकान का नाम	अरन्याकला (1904026)	
दिनांक 24/05/2014 के अनुसार	NIC सील एवं हस्ताक्षर स्थानीय निकाय के अधिकृत अधिकारी	पात्रता पर्ची क्र. : 33866873  पात्रता 35 किलो खाद्यान्न (गेहूँ/चावल/मोटा अनाज) नोट - परिवार को शक्कर/नमक/केरोसीन की राजस्व शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित मात्रा अनुसार पात्रता होगी।

- उचित मूल्य दुकानों की संख्या एवं राशन सामग्री की उपभोक्ता दर-**
 पात्र परिवारों को प्रदेश की 22,422 उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न, शक्कर, नमक एवं केरोसीन प्रदाय किया जा रहा है, जिसमें 4,146 शहरी क्षेत्र की एवं 18,276 ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकानें शामिल हैं। जिलेवार उचित मूल्य दुकानों की संख्या **परिशिष्ट-दो पर दर्शित है।** इन दुकानों से वितरित होने वाली उपभोक्ता वस्तुओं की दरें **परिशिष्ट-तीन** पर दर्शित है।
- शक्कर का वितरण-**
 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधान अनुसार माह मार्च, 2014 के पूर्व प्रदेश के समस्त अन्त्योदय अन्न योजना एवं बीपीएल परिवारों जिनकी संख्या लगभग 75 लाख थी, को रियायती दर पर शक्कर उपलब्ध कराई जा रही थी। दिनांक 01 मार्च, 2014 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत समस्त पात्र परिवारों को एक किलोग्राम शक्कर प्रतिमाह वितरण कराई जा रही है। इस प्रकार, वर्तमान में 43 लाख अतिरिक्त परिवारों को शक्कर का वितरण कराया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना हेतु प्रतिवर्ष 18 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में व्यय किया जा रहा है।
- आयोडीनयुक्त नमक वितरण योजना का विस्तार-**
 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रदेश के सभी 51 जिलों में समस्त अन्त्योदय परिवारों एवं प्राथमिकता परिवारों को दिनांक 01 मार्च, 2014 से मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत 1 किलो नमक प्रतिमाह रु. 1.00 प्रतिकिलो की दर से वितरित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत प्रदेश के 1,18,57,047 पात्र परिवारों को फरवरी, 2016 हेतु 11,857 मेट्रिक टन नमक का आवंटन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना हेतु प्रतिवर्ष 90 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में व्यय किया जा रहा है।

अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रावासों में रहने वाले छात्र/छात्राओं रियायती दर पर खाद्यान्न

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रावासों में रहने वाले छात्र/छात्राओं को दिनांक 01 नवम्बर, 2014 से 1.00 रु. प्रति किलो की दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है, वर्तमान में इन छात्र/छात्राओं को 12 किलोग्राम खाद्यान्न प्रतिमाह दिया जा रहा है। इससे प्रदेश के अनुसूचित जाति के 85,164 एवं अनुसूचित जनजाति के 1,70,309 छात्र/छात्राएँ लाभान्वित हो रहे हैं। इस पर राज्य सरकार द्वारा वार्षिक राशि रु. 13 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होगा।

कल्याणकारी संस्थाओं में निवासरत अंतःवासियों के लिए बीपीएल दर पर खाद्यान्न का आवंटन

प्रदेश की कल्याणकारी संस्थाओं में निवासरत 56,366 अंतःवासियों के लिए 620 मे.टन खाद्यान्न प्रतिमाह बीपीएल दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत प्राप्त खाद्यान्न को नारी निकेतन, बाल संप्रेक्षण गृह, मूक-बधिर छात्रावास, कुष्ठाश्रम, कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास तथा सी.डब्ल्यू.एस.एन. जैसी कल्याणकारी संस्थाओं को उपलब्ध कराकर हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाता है।

- **नीले केरोसीन का वितरण-**

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के क्रियान्वयन के पूर्व मध्यप्रदेश में एपीएल श्रेणी के 85,39,554, बीपीएल श्रेणी के 57,00,304 एवं एएवाय 17,59,017 परिवार थे। अन्त्योदय एवं बीपीएल परिवारों को तत्समय 5 लीटर प्रति परिवार के मान से केरोसीन दिया जाता था, जबकि एपीएल परिवारों को उपलब्धता के अनुसार केरोसीन दिया जाता था, वह भी इस शर्त के साथ कि संबंधित परिवार के पास गैस कनेक्शन न हो। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत 1,18,57,047 परिवारों को पात्र परिवारों के रूप में चिह्नित किया गया है। इन सभी परिवारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नीला केरोसीन (रियायती दर का केरोसीन) उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त परिवारों में लगभग 43 लाख ऐसे परिवार शामिल हैं जो इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व एपीएल (गरीबी रेखा से ऊपर) श्रेणी के अंतर्गत शामिल थे।

भारत सरकार से प्राप्त केरोसीन के त्रैमासिक आवंटन को प्रदेश के 295 थोक विक्रेताओं के द्वारा ऑयल कंपनी के डिपो से उठाव कर उचित मूल्य दुकानों को प्रदाय सुनिश्चित कराया गया है।

राज्य खाद्य आयोग का गठन -

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानानुसार 'राज्य खाद्य आयोग' का दायित्व अंतरिम रूप से मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता प्रतितोषण आयोग को दिया गया है तथा प्रत्येक जिले के कलेक्टर को 'जिला शिकायत निवारण अधिकारी' घोषित किया गया है।

- **राज्य स्तर से खाद्यान्न, शक्कर, नमक एवं केरोसीन का दुकानवार ऑनलाईन आबंटन-**

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत वितरण होने वाली सामग्री के आबंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं इसमें होने वाले विलम्ब को रोकने के लिए माह जून,

2014 से निर्धारित समय-सीमा में आयुक्त, खाद्य कार्यालय भोपाल से उचित मूल्य दुकानवार आबंटन जारी किया जा रहा है। उचित मूल्य दुकानवार सामग्री का आबंटन आम जनता के अवलोकन हेतु विभागीय पोर्टल (www.food.mp.gov.in) पर उपलब्ध कराया गया है। अब मध्यप्रदेश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत कोई भी हितग्राही अपनी पात्रता, जिलावार/निकायवार/उचित मूल्य दुकानवार मासिक आवंटन, प्रदाय की जाने वाली सामग्री की मात्रा एवं मूल्य संबंधी जानकारी विभागीय वेबसाइट पर देख सकता है। वेबसाइट पर यह भी दर्शित है कि कौन सा परिवार किस उचित मूल्य दुकान से सम्बद्ध है एवं उचित मूल्य दुकानवार पात्र परिवारों की संख्या कितनी है। मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन द्वारा संचालनालय से जारी आवंटन अनुसार खाद्यान्न, नमक एवं शक्कर की उपलब्धता अपने 190 प्रदाय केन्द्रों के माध्यम से सुनिश्चित कराई जाती है। प्रदाय केन्द्रों की सूची **परिशिष्ट-चार** पर दर्शित है।

- **पात्र परिवारों को दो माह की सामग्री उपलब्ध कराना-**

उपभोक्ताओं की सुविधा की दृष्टि से यह व्यवस्था की गई है कि राशनकार्ड धारक किसी माह के दौरान उस माह की पात्रतानुसार सामग्री का क्रय नहीं कर पाता है तो ऐसी शेष सामग्री अगले माह प्राप्त कर सकेगा।

- **पीओएस (point of sale) मशीन के माध्यम से राशन सामग्री का वितरण:-**

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत प्रदेश के 118 लाख परिवारों की पहचान एवं राशन वितरण सुनिश्चित करने हेतु लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटराइजेशन किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर पीओएस मशीन लगाई जा रही है। अभी तक प्रदेश की 22,422 उचित मूल्य दुकानों में से 18,788 उचित मूल्य दुकानों पर पीओएस मशीन लगाई जा चुकी है, शेष दुकानों पर माह मार्च, 2016 तक पीओएस मशीनें लग जाएंगी।

पीओएस मशीन के माध्यम से पात्र परिवारों को सामग्री वितरण के तीन मॉडल निर्धारित हैं, जो निम्नानुसार हैं :-

- **ऑनलाईन**
 - अपनी सुविधा - अपना राशन (असर)
 - नॉन असर
- **ऑफलाईन**

अपनी सुविधा - अपना राशन (असर व्यवस्था)

ऑनलाईन असर व्यवस्था भोपाल, इंदौर एवं खण्डवा जिलों के नगर निगम क्षेत्रों में लागू की गई है जिसे भविष्य में चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के अन्य नगरीय क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत पात्र परिवारों का समस्त डाटा केन्द्रीय सर्वर पर उपलब्ध रहेगा तथा उचित मूल्य दुकान से वितरण की जाने वाली सामग्री की जानकारी ऑनलाईन अपडेट रहेगी। जिन पात्र परिवारों के आधार नंबर डाटाबेस में उपलब्ध हैं, वह परिवार नगर की किसी भी उचित मूल्य दुकान से अपनी राशन सामग्री प्राप्त कर सकेगा। जिन पात्र परिवारों के आधार नंबर डाटाबेस में उपलब्ध नहीं हैं, ऐसे पात्र परिवार अपनी निर्धारित उचित मूल्य दुकान से समग्र परिवार आईडी के आधार पर सामग्री प्राप्त कर सकेंगे।



भोपाल नगर के उचित मूल्य दुकानदारों को असर व्यवस्था का प्रशिक्षण

- **नॉन असर व्यवस्था (ऑनलाईन)**

नॉन असर व्यवस्था अंतर्गत उचित मूल्य दुकान से संलग्न पात्र परिवार की समस्त जानकारी केन्द्रीय सर्वर से डाउनलोड कर पीओएस मशीन में संग्रहित की जाती है। पात्र परिवार को अपनी निर्धारित उचित मूल्य दुकान से समग्र परिवार आईडी/आधार नंबर के द्वारा सत्यापन उपरांत सामग्री वितरित की जाती है। यह व्यवस्था उन स्थानों पर लागू की गई है, जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध है। उचित मूल्य दुकान के विक्रेता द्वारा क्रय-विक्रय की जानकारी केन्द्रीय सर्वर पर दिन में एक बार अपलोड की जाती है।

- **ऑफलाईन व्यवस्था**

यह व्यवस्था उन उचित मूल्य दुकानों पर लागू की गई है जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है, इसके अंतर्गत पात्र परिवार का समस्त डाटा एवं उनकी पात्रता पीओएस मशीन में उपलब्ध कराई जाती है। सप्ताह में एक बार मशीन को इंटरनेट

कनेक्टिविटी क्षेत्र में ले जाकर उचित मूल्य दुकान के विक्रेता द्वारा पीओएस मशीन से सामग्री वितरण की जानकारी केन्द्रीय सर्वर पर अपलोड की जाती है।

पीओएस मशीन से राशन सामग्री वितरण किए जाने पर पात्र परिवारों को एक रसीद दी जा रही है जिसमें परिवार की समग्र आईडी उचित मूल्य दुकान से प्रदाय सामग्री की मात्रा एवं राशि का विवरण रहता है।

- **द्वार प्रदाय योजना-**

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से लीड समिति के स्थान पर 'द्वार प्रदाय योजना' के तहत मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा उचित मूल्य दुकानों तक खाद्यान्न, शक्कर एवं नमक का प्रदाय करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यक वस्तुओं का त्वरित परिवहन एवं दुकान स्तर पर नियमित उपलब्धता के साथ ही परिवहन के दौरान आवश्यक वस्तुओं के व्यपर्वतन पर नियंत्रण करना है।

द्वार प्रदाय योजनांतर्गत प्रदेश के सभी 347 सेक्टरों में मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन द्वारा उचित मूल्य दुकानों तक खाद्यान्न, शक्कर एवं नमक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानानुसार नवीन नियंत्रण आदेश जारी

- राज्य सरकार द्वारा पात्र परिवारों को रियायती दर पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानानुसार मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 जारी किया गया, जिसमें मुख्य प्रावधान निम्नानुसार हैं:-
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक दुकान खोली जाएगी।
- नगरीय क्षेत्र में 800 पात्र परिवार पर एक उचित मूल्य दुकान होगी।
- लीड संस्थाओं के प्रावधान को समाप्त कर द्वार प्रदाय योजना का प्रावधान किया गया।
- उचित मूल्य दुकान से संबंधित दस्तावेजों को सूचना के अधिकार के तहत प्रदाय का प्रावधान।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सामग्री के प्रति स्थापन/व्यपर्वतन/अपमिश्रण करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही का प्रावधान।

उचित मूल्य दुकानों के लिए नवीन कमीशन व्यवस्था लागू-

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य दुकान संचालन करने वाली संस्थाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने हेतु खाद्यान्न वितरण पर कमीशन

में वृद्धि की गई है जिसके तहत नगरीय उचित मूल्य दुकानों को रु. 20 प्रति क्विंटल के स्थान पर रु. 70 प्रति क्विंटल तथा ग्रामीण क्षेत्र में एक विक्रेता एक दुकान संचालित करने पर प्रतिमाह रु. 8,400 तथा आंशिक रूप से संचालन करने पर रु. 2,400 कमीशन माह अप्रैल, 2015 से दिया जा रहा है।

शेड निर्माण-

प्रदेश की उचित मूल्य दुकानों से पात्र परिवारों को सामग्री प्राप्त करने के समय वर्षा एवं धूप से बचाने के लिए दुकान के सामने 10x15' क्षेत्रफल का पक्का शेड निर्माण कराया जा रहा है। प्रथम चरण में प्रदेश की 2000 उचित मूल्य दुकानों पर शेड एवं फर्श निर्माण हेतु राशि रु. 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

खाद्यान्न उपार्जन - ई-उपार्जन परियोजनांतर्गत

राज्य सरकार द्वारा उपार्जन की मानवीय प्रक्रिया पर निर्भरता समाप्त कर कम्प्यूटर के माध्यम से उपार्जन का कार्य प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत उपार्जन केन्द्रों पर कम्प्यूटर, प्रिन्टर, यूपीएस, उपलब्ध कराये गये हैं। ई-उपार्जन परियोजनान्तर्गत प्रदेश के किसानों का उपार्जन केन्द्र पर उनके द्वारा बोई गई फसल के रकबे का पंजीयन किया जाता है। पंजीयन में उल्लेखित रकबे का राजस्व विभाग के अमले द्वारा मौके पर सत्यापन कराये जाने के उपरांत उनकी तहसील की फसल उत्पादकता के आधार पर उपार्जन किया जाता है। उपार्जन हेतु किसानों को एसएमएस के माध्यम से पूर्व में सूचना दी जाती है, ताकि किसान को उपार्जन केन्द्र पर अपनी फसल विक्रय करने हेतु अधिक समय तक इन्तजार न करना पड़े। किसान द्वारा विक्रय की गई फसल की राशि सीधे उसके बैंक खाते में अधिकतम 7 दिवस के भीतर जमा कराई जाती है।

- **गेहूँ का उपार्जन-**

रबी उपार्जन वर्ष 2015-16 में ई-उपार्जन परियोजनांतर्गत प्रदेश के 9,57,195 किसानों से 73,10,040 मे.टन गेहूँ का उपार्जन किया गया है। किसानों को राज्य सरकार द्वारा राशि रु. 10,59,956 लाख का भुगतान किया गया।

- **धान एवं मोटे अनाज का उपार्जन-**

खरीफ विपणन वर्ष 2015-16 में प्रदेश के 2,43,396 किसानों से 12,65,100 मे.टन धान का समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया गया, जिसका किसानों को कुल रु. 1,78,379 लाख का भुगतान किया गया है।

खरीफ विपणन वर्ष 2015-16 में प्रदेश के 3704 किसानों से 22,954 मे.टन मक्का का उपार्जन समर्थन मूल्य पर किया गया, जिसका किसानों को कुल 3041 लाख रुपये का भुगतान किया गया है।



Portal url : <http://mpsc.mp.nic.in/csms/mpeuparjan/home.aspx/Main.aspx>

प्रदेश में समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न की ई-उपार्जन परियोजना को भारत सरकार द्वारा सराहा गया। इस व्यवस्था को देश के अन्य प्रदेशों में भी लागू किया जा सके, इस हेतु पोर्टल विकसित करने के लिये प्रदेश के NIC तकनीकी अमले को भारत सरकार द्वारा आमंत्रित किया गया है।

वर्ष 2003-04 से गेहूं, धान एवं मोटे अनाज के समर्थन मूल्य की जानकारी **परिशिष्ट-पांच** एवं वर्षवार खरीदी मात्रा की जानकारी **परिशिष्ट-छः** पर दर्शित है।

गोदाम स्तर पर खाद्यान्न उपार्जन-

समर्थन मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न के उपार्जन तथा परिवहन व्यय को न्यूनतम करने की दृष्टि से प्रदेश में गोदाम स्तर पर खाद्यान्न का उपार्जन किया जाएगा। इन गोदामों पर 15 किलोमीटर की परिधि में आने वाले उपार्जन केन्द्रों को संलग्न किया जाएगा। गोदाम स्तर पर खाद्यान्न उपार्जन करने हेतु तुलाई, भराई, सिलाई एवं ग्रेडिंग की आधुनिक यांत्रिकीय (mechanised) व्यवस्था की जाएगी जिससे किसानों को फसल को विक्रय करने में अधिक समय इन्तजार नहीं करना पड़ेगा। उपार्जन स्थल पर किसानों के लिए पीने के पानी, बैठने हेतु छायादार स्थान एवं आवश्यक सुविधा सहित सम्पूर्ण व्यवस्था रहेगी। इस व्यवस्था से जहां शासन के परिवहन पर होने वाले शासन व्यय में कमी आएगी वहीं किसानों द्वारा फसल विक्रय करना अधिक सुविधाजनक होगा।

महिला नीति का क्रियान्वयन

आर्थिक सशक्तिकरण -

महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की दृष्टि से मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 में महिलाओं की संस्थाओं को यथासम्भव एक-तिहाई उचित मूल्य दुकान आवंटित करने का प्रावधान किया गया है। ऐसी उचित मूल्य दुकानों की विक्रेता भी महिला ही होगी। यह उल्लेखनीय है ऐसी संस्थाओं को महिलाओं की संस्था समझा जाएगा जिसकी सभी सदस्य एवं पदाधिकारीगण महिलाएँ हों। इस प्रकार, प्रदेश में संचालित 22,422 उचित मूल्य दुकानों में से एक-तिहाई उचित मूल्य दुकानों का आवंटन महिलाओं की संस्थाओं को किया जाएगा।

महिला सशक्तिकरण -

समाज में महिलाओं की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधान अनुसार चिह्नित पात्र परिवारों में वरिष्ठ स्त्री जिसकी आयु 18 वर्ष से कम न हो राशनकार्ड (पात्रता पर्ची) जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए परिवार की मुखिया होगी एवं उसी के नाम से राशनकार्ड (पात्रता पर्ची) जारी की जाएगा।

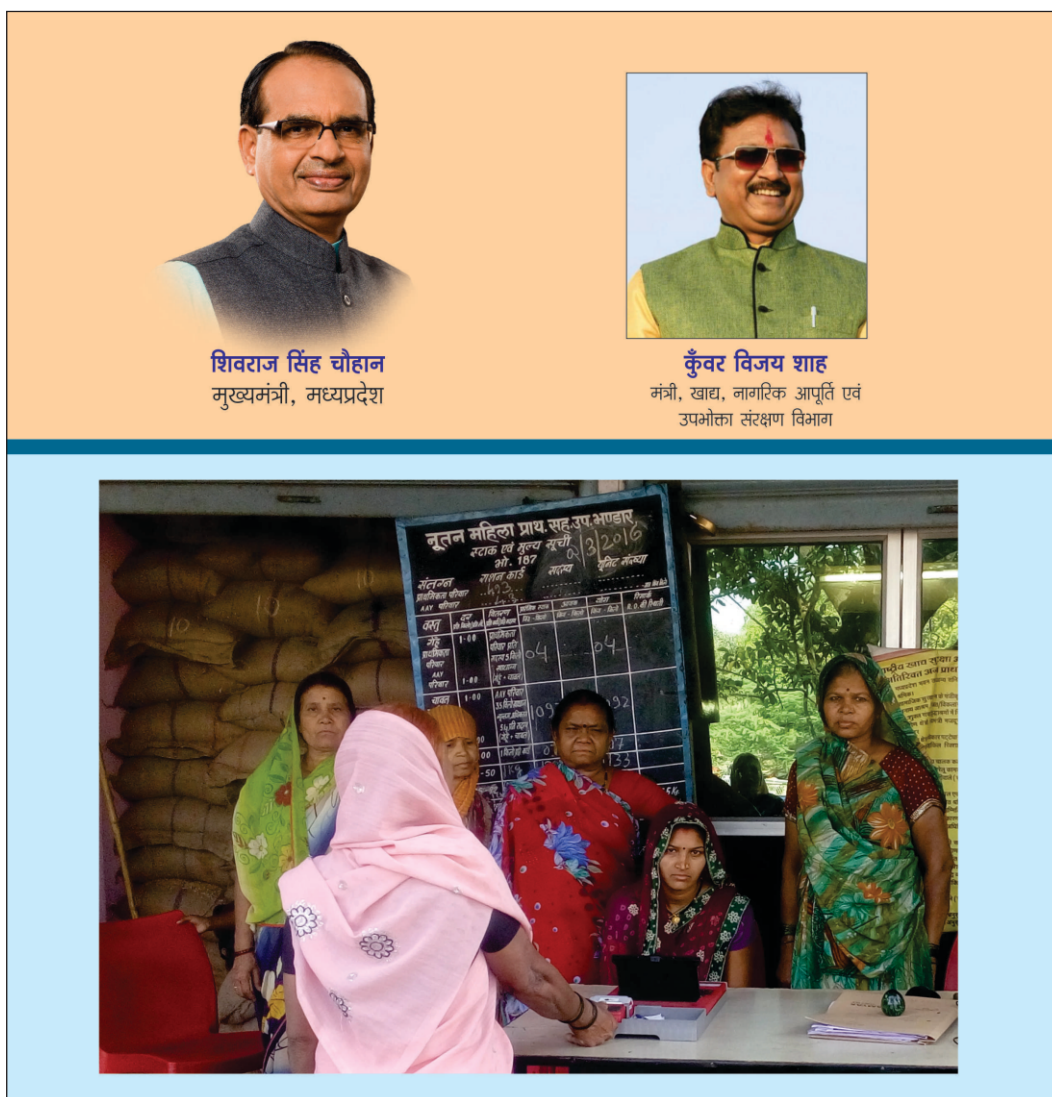
जहां किसी गृहस्थी में किसी समय कोई स्त्री अथवा 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की स्त्री नहीं है, किन्तु 18 वर्ष से कम आयु की महिला सदस्य हैं तो वहां गृहस्थी का वरिष्ठ पुरुष सदस्य राशनकार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए गृहस्थी का मुखिया होगा और महिला सदस्य, 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, ऐसे राशनकार्डों के लिए पुरुष सदस्य के स्थान पर गृहस्थी की मुखिया हो जाएगी।

खाद्य सुरक्षा -

असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाली घरेलू कामकाजी महिलाओं के परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा कामकाजी महिलाओं को प्राथमिकता परिवार श्रेणी में सम्मिलित किया गया है, इस श्रेणी की 2,36,312 महिलाओं के परिवारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्रतानुसार रियायती दर पर खाद्यान्न, शक्कर, नमक एवं केरोसीन का वितरण किया जा रहा है।

कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा-

शासकीय सेवारत महिलाओं को उनके कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने तथा कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने हेतु “विशाका गाईड-लाईन” के अनुरूप समिति का गठन किया गया है।



जेण्डर बजट सेल-

वित्त विभाग के चार्टर ऑफ जेण्डर बजट सेल के प्रावधान अनुसार खाद्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में प्रावधानित बजट में जेण्डर बजट का निर्धारण एवं उसका समुचित उपयोग करने हेतु जेण्डर सेल का गठन किया गया है।

पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री और वितरण पर नियंत्रण

- **पेट्रोल/डीजल पम्पों पर जनसुविधा -**

पेट्रोल/डीजल पम्पों पर आने वाले उपभोक्ताओं को पीने के पानी हवा, तथा प्रसाधन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस संबंध में समस्त कलेक्टरों को मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट एवं हाईस्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश, 1980 की कंडिका 10 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के तहत निर्देश जारी किए गए हैं।

पेट्रोल/डीजल पम्पों से गुणवत्ता की शिकायत के आधार पर सेम्पल लिए जाकर मोटर स्पिरिट एवं हाईस्पीड डीजल ऑयल (प्रदाय तथा वितरण का नियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 2005 की कंडिका 5(5) के अनुसार अनुसूची में उल्लेखित ऑयल कंपनी से भिन्न प्रयोगशाला में भी परीक्षण कराया जा सकेगा।

- **पेट्रोल, डीजल एवं एल.पी.जी. का वितरण -**

प्रदेश में ऑयल कंपनी के नियुक्त एवं मध्यप्रदेश मोटर स्पीड एवं हाई स्पीड डीजल ऑयल अनुज्ञापन आदेश, 1980 के तहत व्यापार अनुज्ञप्ति प्राप्त 3,157 पम्पों के माध्यम से पेट्रोल एवं डीजल का वितरण ऑयल कंपनी द्वारा निर्धारित दर पर उपभोक्ताओं को किया जाता है।

घरेलू एवं व्यवसायिक एल.पी.जी. का प्रदाय ऑयल कंपनी के नियुक्त 1,185 वितरकों द्वारा किया जाता है। घरेलू एल.पी.जी. का प्रदाय भारत सरकार की निर्धारित दर पर घरेलू उपयोग हेतु तथा व्यवसायिक एल.पी.जी. का विक्रय ऑयल कंपनी की निर्धारित दर पर अन्य युक्तियुक्त खर्च जोड़ते हुए व्यवसायिक कार्य में लगे उपभोक्ताओं को किया जाता है। प्रदेश में पेट्रोल, डीजल, केरोसीन एवं एल.पी.जी. डीलर्स की जानकारी **परिशिष्ट-सात** तथा बाटलिंग प्लांट की ऑयल कंपनीवार जानकारी **परिशिष्ट-आठ** पर दर्शित है।

नागरिक सुरक्षा

प्रदेश में दो पहिया वाहन चालकों से संबंधित सड़क दुर्घटनाओं में बिना हेलमेट लगाए चालकों को गंभीर चोट/शारीरिक अपंगता/मृत्यु की संभावना अधिक होने को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे दो पहिया वाहन चालकों की हेलमेट लगाए बिना ही वाहन चलाने की प्रवृत्ति पर सख्ती से रोक लगाए जाने हेतु मोटर स्पिरिट तथा हाईस्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1980 की धारा 10 के अंतर्गत समस्त पेट्रोल/डीजल पम्पों के अनुज्ञप्तिधारियों को दो पहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट लगाकर वाहन लेकर आने पर ही उन्हें पेट्रोल प्रदाय किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

पेट्रोल/डीजल पम्पों के अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दो पहिया वाहन चालकों को बगैर हेलमेट लगाए पेट्रोल प्रदाय करना आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा। दो पहिया वाहन चालकों को उक्त जानकारी हेतु पेट्रोल/डीजल पम्पों के परिसर में इस प्रकार की सूचना के बड़े-बड़े अक्षरों में बैनर लगाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित उचित मूल्य दुकानों के एक वर्ष में 54,190 निरीक्षण कराए गए जिसमें 1,218 प्रकरण निर्मित कर राशि रु. 27.95 लाख की सामग्री जप्त की गई तथा 135 दुकानें निलंबित की गईं। गंभीर अनियमितता पाये जाने पर 52 प्रकरणों में विक्रेताओं/संस्थाओं के पदाधिकारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई। 596 प्रकरणों का निराकरण कर राशि रु. 09.97 लाख की प्रतिभूति राशि एवं सामग्री राजसात की गई।

पेट्रोल/डीजल पम्पों, गैस एजेंसियों, केरोसीन लायसेंसियों एवं घरेलू गैस/नीले केरोसीन का व्यवसायिक उपयोग करने वाले संस्थानों के 25,994 निरीक्षण कराए गए जिसमें 3,164 प्रकरण निर्मित कर राशि रु. 846.22 लाख की सामग्री जप्त की गई तथा गंभीर अनियमितता करने वाले 36 व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई। निर्मित प्रकरणों के निराकरण में राशि रु. 108.38 लाख की प्रतिभूति राशि एवं सामग्री राजसात की गई।

उपभोक्ता संरक्षण पुरस्कार

उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 15 मार्च को राज्य स्तर एवं जिला मुख्यालयों पर “विश्व उपभोक्ता दिवस” का आयोजन किया जाता है। इन आयोजनों में उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा प्रदर्शनी लगाई जाती है। उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं से आवेदन पत्र प्राप्त किये जाकर उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्था को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार क्रमशः रुपये 30,000, 20,000 तथा 10,000 तथा संभाग स्तर पर प्रथम पुरस्कार रुपये 6,000, द्वितीय पुरस्कार रुपये 4,000 एवं तृतीय पुरस्कार रुपये 2,000 मय प्रशस्ति पत्र दिये जाते हैं।

उपभोक्ता कल्याण निधि

राज्य सरकार द्वारा राज्य कल्याण निधि, 2009 के तहत उपभोक्ता कल्याण निधि की स्थापना की गई है। निधि में जमा राशि पर प्राप्त ब्याज से उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता संबंधी गतिविधियों का संचालन करने हेतु गैर-सरकारी संगठनों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत वितरण होने वाली सामाग्री तथा उपार्जन आदि से संबंधित समस्याओं एवं शिकायतों के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के टोल-फ्री नम्बर 181 की सुविधा प्रदान की गई है। विभाग संबंधी प्राप्त शिकायतों के निराकरण के लिये अधिकारियों के चार स्तर निर्धारित किए गए हैं, जो क्रमशः कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, जिला आपूर्ति अधिकारी, कलेक्टर एवं आयुक्त खाद्य है। प्रत्येक स्तर पर शिकायत के निराकरण की समय-सीमा सात दिवस निर्धारित की गई है। उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की अवधारण एवं मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों से अवगत कराने के लिये प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर फ्लेक्स लगाए गए जिसमें मुख्यमंत्री हेल्पलाइन टोल-फ्री नम्बर 181 प्रदर्शित किये गए। माह अप्रैल, 2015 से फरवरी, 2016 तक मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में विभाग की कुल 44,491 शिकायतें प्राप्त हुईं उसके विरुद्ध 42,468 शिकायतों का निराकरण किया गया। विभाग द्वारा सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों के त्वरित निराकरण किये जाने पर शासन द्वारा सराहना की गई है।

**मध्यप्रदेश में
सुशासन की एक और
अमिनव पहल**

**सीएम
हेल्पलाइन
181**
जन हेतु-जन सेतु

**जन हेतु-जन सेतु
सीएम हेल्पलाइन
टोल फ्री 181**
सरकार और नागरिकों के बीच एक फोन का फासला

- सर्वसुविधायुक्त अत्याधुनिक कॉल सेंटर।
- विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने की सुविधा।
- जन शिकायतों का त्वरित एवं सुनिश्चित समाधान।
- यह सेवा प्रदेश में कहीं से भी प्रतिदिन प्रातः 7 से रात्रि 11 बजे तक उपलब्ध।
- नागरिकों की शिकायतों के निराकरण की जानकारी फोन और एसएमएस से प्रदाय की सुविधा।
- शिकायत के प्रकरणों में नागरिकों की संतुष्टि उपरांत निराकरण मान्य।

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जारी

वेयरहाउस के लायसेंस ऑन-लाईन जारी करना

मध्यप्रदेश कृषि गोदाम अधिनियम, 1947 के तहत वेयरहाउस संचालन हेतु लायसेंस का आवेदन ऑनलाईन ई-वेयरहाउस पर प्राप्त किया जाकर एवं उन्हें लायसेंस भी ऑनलाईन जारी किए जाएंगे। प्राप्त आवेदनों में किसी दस्तावेज की कमी होने पर आवेदक को उसकी पूर्ति करने हेतु ऑनलाईन सूचना दी जाएगी। लायसेंस स्वीकृति की स्थिति आवेदक ऑनलाईन देख सकेगा।



माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ई-वेयरहाउसिंग लायसेंस वेबसाइट का उद्घाटन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय

वर्ष 2015-16 के लिए अनुपूरक अनुमान सहित आयोजनेत्तर/आयोजना मद से संबंधित बजट प्रावधान/व्यय की जानकारी -

(राशि रुपये में)

आयोजना मद की योजनाएँ					
क्र.	योजना कोड	योजना का नाम	मांग संख्या	बजट आवंटन 2015-16	व्यय (24.02.2016)
1	6242	मिटटी तेल के सार्वजनिकवितरण प्रणाली के लिये सार्वजनिक क्षेत्रों के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता	39	1,26,00,000	89,83,718
			41	43,00,000	29,76,288
			64	31,00,000	17,24,509
			योग	2,00,00,000	1,36,84,515
2	6627	खाद्यान्न उपार्जन की कम्प्यूटराईजेशन परियोजना	39	1,77,65,000	1,77,65,000
			41	22,00,000	22,00,000
			64	16,00,000	16,00,000
			योग	2,15,65,000	2,15,65,000

3	7165	खाद्यान्न भण्डारण हेतु गारंटी योजना	39	6,00,00,000	-
4	7367	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूराइजेशन	39	11,91,00,000	2,84,20,198
5	9214	आयोडीन नमक का वितरण	39	43,20,00,000	35,54,67,980
			41	27,00,00,000	21,93,81,560
			64	19,80,00,000	19,80,00,000
			योग	90,00,00,000	77,28,49,540
6	7272	गोदामों का निर्माण	39	25,82,27,000	16,04,07,363
			41	2,20,00,000	2,20,00,000
			64	1,60,00,000	1,60,00,000
			योग	29,62,27,000	19,84,07,363
7	1275	म.प्र. वेयर हाऊसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति 2012 के अंतर्गत अनुदान	39	3,10,00,000	3,10,00,000
			41	1,10,00,000	1,10,00,000
			64	80,00,000	80,00,000
			योग	5,00,00,000	5,00,00,000
8	6080	भण्डार एवं विपणन (1501)	61	1,000	-
9	6080	भण्डार एवं विपणन (1503)	61	1,000	-
10	9253	उपभोक्ता जागरूकता कल्याण	39	1,00,00,000	57,34,782
11	7566	विद्यार्थियों को रियायती दर पर खाद्यान्न (अनुसूचित जनजाति)	41	9,20,00,000	4,97,99,957
12	7566	विद्यार्थियों को रियायती दर पर खाद्यान्न (अनुसूचित जाति)	64	4,02,00,000	2,28,00,000
13	7749	अनुसूचित जनजाति के पात्र परिवारों को केरोसीन कुप्पी का प्रदाय	41	8,50,00,000	-
14			64	1,000	-
15	7723	उचित मूल्य दुकानों पर शेड एवं फर्श का निर्माण	39	10,00,00,000	8,00,64,962
16	7723	उचित मूल्य दुकानों को इलेक्ट्रॉनिक तौल काटा का प्रदाय	39	15,00,00,000	-
17	6387	पुरस्कार योजना	39	12,75,000	
		योग		1,94,53,70,000	1,24,33,26,317

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश

वित्तीय वर्ष 2015-16

आयोजनेत्तर मद के योजनावार आवंटन व्यय एवं शेष

क्र.	योजना कोड	योजना का नाम	बजट आवंटन 2015-16	व्यय (24.02.2016)
1	1471	जिला कार्यालय स्थापना	35,58,37,900	23,56,51,130
			1,00,000	55,000
2	3537	मुख्य कार्यालय स्थापना	4,51,39,000	3,34,98,499
3	6116	फूड कूपन	1,000	-
4	6286	लोक सेवा गारंटी अधिनियम	1,000	-
5	6387	पुरस्कार योजना	9,00,000	8,46,945
6	7300	स्व. श्री सुशाल चन्द्र वर्मा पुरस्कार	1,000	-
7	8808	सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	5,40,900	-
8	0570	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सहकारी समितियों को खाद्यान्न बिक्री में हानि की प्रतिपूर्ति	1,80,00,000	-
9	1299	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कमीशन, परिवहन एवं प्रशासकीय व्यय की प्रतिपूर्ति	4,00,00,00,000	3,55,47,02,939
10	3229	म.प्र. नागरिक आपूर्ति निगम को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति	1,87,00,00,000	1,41,63,47,348
11	3248	म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति	3,13,50,00,000	2,93,50,00,000
12	5623	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिये मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना	4,57,59,86,930	3,37,68,08,337

13	5624	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न उपार्जन हेतु प्रोत्साहन	2,40,14,070	2,40,13,070
14	6645	अन्त्योदय अन्न योजना	1,000	-
15	6781	म.प्र. नागरिक आपूर्ति निगम को ऋण पर ब्याज सहायता अनुदान	1,000	-
16	6933	अस्थाई केप निर्माण में हुई हानि की प्रतिपूर्ति	1,000	-
17	9087	खुली निविदा पद्धति से शक्कर क्रय पर राज्य शासन से अनुदान	53,32,71,000	1,14,94,730
18	0173	अन्न का क्रय	7,20,00,000	2,06,75,485
19	7585	धान पर अधिरोपित क्रय कर के भुगतान हेतु ब्याज रहित ऋण	1,00,00,00,000	-
योग			15,63,07,95,800	11,60,90,93,483

नाप-तौल (विधिक माप विज्ञान) कार्यालय

नाप-तौल स्थापना के नीतिगत दायित्व निम्नवत है:-

1. नाप-तौल से संबंधित अधिनियम तथा नियमों का परिचालन।
2. व्यापार, व्यवसाय, औद्योगिक तथा मानव सुरक्षा में उपयोग आने वाले उपकरणों की विशुद्धता (**Accuracy**) बनाए रखना।
3. नाप-तौल उपकरणों का सत्यापन/मुद्रांकन हेतु शिविरों का आयोजन।
4. व्यावसायिक संस्थानों की जांच एवं त्रुटिकर्ताओं के विरुद्ध नियमों के तहत कार्यवाही।
5. नाप-तौल उपकरणों के निर्माता, विक्रेता एवं सुधारकों को अनुज्ञप्तियां प्रदाय करना।
6. नाप-तौल उपकरणों की कार्यकारी मानक एवं द्वितीय मानक प्रयोगशाला का संधारण।
7. उपभोक्ताओं को नाप-तौल से संभावित शोषण से रक्षण।

विभागाध्यक्ष जिला/तहसील स्तर पर पदस्थ अमले की स्थिति निम्नानुसार है:-

(दिनांक 31.01.2016 की स्थिति में)

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद
01	नियंत्रक	01	01
02	संयुक्त नियंत्रक	01	01
03	उप नियंत्रक (जिला स्तर)	04	03
04	सहायक नियंत्रक (जिला स्तर)	09	07
05	दाशमिक अधिकारी	01	01
06	निरीक्षक	110	95
07	तृतीय श्रेणी (लिपिकीय)	191	162
08	चतुर्थ श्रेणी	201	113
09	वाहन चालक	05	03
10	परिचालक हेल्पर	02	01
11	वाहन चालक (क्लेक्टर रेट)	03	02
12	स्वीपर (क्लेक्टर रेट)	01	01
13	माली (क्लेक्टर रेट)	01	01

पदक्रम सूची की स्थिति:-

दिनांक 01.04.2015 की स्थिति में निम्नानुसार पदक्रम सूची (राज्य स्तरीय) जारी की गई:-

01. राजपत्रित अधिकारी
02. तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)
03. तृतीय श्रेणी (लिपिकीय)
04. चतुर्थ श्रेणी
05. वाहन चालक
06. विभागीय जांच - वर्ष 2015-16 में केवल 06 विभागीय जांच लंबित है।
07. विभागीय पदोन्नति- अधीक्षक के पद पर 02, सहायक ग्रेड-1 के पद पर 03 सहायक ग्रेड-2 के पद पर 02 एवं चतुर्थ श्रेणी से सहायक ग्रेड-3 के पद पर 01 पदोन्नति की गई।

विभाग का मुख्य कार्य व्यापारियों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में उपयोग हो रहे नाप-तौल उपकरणों का सत्यापन, पुनःसत्यापन एवं मुद्रांकन करना है। व्यावसायियों को अपने बांट माप उपकरणों को अधिक दूर न ले जाना पड़े इस हेतु प्रदेश में पुनः सत्यापन/मुद्रांकन शिविरों का आयोजन किया जाता है। निरीक्षक, नाप-तौल इन शिविरों के आयोजन तथा पुनः सत्यापन हेतु पूर्णतः जिम्मेदार है।

प्रत्येक निरीक्षक कार्यालय में आउटडोर तथा इनडोर वर्किंग स्टैंडर्ड लैबोरेटरी (प्रयोगशालाएं) स्थापित हैं। निरीक्षकों द्वारा आउटडोर वर्किंग स्टैंडर्ड (कार्यकारी मानक) द्वारा सुदूर ग्रामीण अंचलों में आयोजित शिविरों में व्यापारियों के नाप-तौल उपकरणों का सत्यापन एवं मुद्रांकन का कार्य किया जाता है।

बड़े जिला मुख्यालयों पर उप/सहायक नियंत्रकों के कार्यालय में उच्च क्षमतायुक्त सेकेण्डरी स्टैंडर्ड से सुसज्जित 13 लेबोरेटरीज (प्रयोगशालाएं) स्थापित हैं, जहां पर निरीक्षक कार्यालयों के उपयुक्त वर्किंग (कार्यकारी) स्टैंडर्डस का सत्यापन एवं मुद्रांकन का कार्य किया जाता है।

51 जिला मुख्यालयों एवं 09 तहसील मुख्यालयों में कुल 60 वर्किंग स्टैंडर्ड (कार्यकारी मानक) लेबोरेटरीज (प्रयोगशालाएं) यांत्रिक उपकरणों से सुसज्जित हैं वर्ष 2014-15 में कार्यकारी मानक इलेक्ट्रॉनिक तौल 29 सेट क्रय करने की कार्यवाही विभाग द्वारा की गई। वर्ष 2015-16 में सम्भुज (अंतरंग) कार्यकारी मानक तुलाओं के 11 सेट क्रय करने की कार्यवाही प्रचलन में है।

प्रयोगशाला सह कार्यालय हेतु भवन का निर्माण:- भारत सरकार द्वारा दी गई अनुदान राशि से इंदौर, जबलपुर, शाजापुर, एवं धार में विभाग की द्वितियक/कार्यकारी मानक प्रयोगशाला सह कार्यालय भवन निर्माण कार्य पूर्ण होकर अधिपत्य में लिया गया है। विदिशा में प्रयोगशाला निर्माण का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है एवं ग्वालियर तथा मंदसौर

निर्माण कार्य पूर्ण होकर भवन अधिपत्य में लिया गया है। राजगढ़, शिवपुरी, बुरहानपुर में निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। शेष शहडोल, टीकमगढ़, सतना, शहडोल, खरगोन, देवास, पन्ना, नीमच में निर्माण कार्य प्रगति पर है।

राजस्व आय:-

बांट और माप उपकरणों के सत्यापन, पुनः सत्यापन एवं मुद्रांकन किए जाने पर शासन को शुल्क के रूप में राजस्व आय की प्राप्ति होती है, इसके अलावा उपयुक्त वर्णित अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत अपराध प्रकरणों से राजीनामा शुल्क एवं अन्य विविध कार्यों से शुल्क प्राप्त किया जाता है, जिसकी उपलब्धि वर्षवार अद्योलिखित है:-

(राशि करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	प्राप्त आय
वर्ष 2015-16	9.43

अपराधों का पंजीयन:-

व्यवसायियों द्वारा त्रुटिपूर्ण बांट एवं माप उपकरणों के प्रयोग से आम उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचाए जाने के दृष्टिकोण से विभाग के अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण एवं आकस्मिक रूप से छापे मारकर इन संस्थानों की बाजार में स्थापित दुकानों, पेट्रोल पम्पों, रसोई गैस संस्थानों की जांच की जाती है। दोषी पाए जाने वाले प्रतिष्ठानों एवं व्यवसायियों के विरुद्ध नाप-तौल एवं प्रक्रियाओं के अंतर्गत अभियोजन की कार्यवाही की जाती है।

वित्तीय वर्ष	दर्ज अपराध प्रकरणों की संख्या
वर्ष 2015-16	9531

अनुज्ञप्तियां:-

नाप-तौल उपकरणों के निर्माण, विक्रय अथवा सुधार कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों को नियमानुसार आवेदन करना जांच एवं निर्धारित शुल्क प्राप्त कर अनुज्ञप्ति प्रदाय करना होती है बिना वैध अनुज्ञप्ति के नाप-तौल उपकरणों का निर्माण, विक्रय एवं सुधार करना अवैधानिक है। अनुज्ञप्तियां प्राप्त करना अधिनियम के अंतर्गत प्रावधानित है। विभाग द्वारा जारी की गई अनुज्ञप्तियों की संख्या अद्योलिखित अनुसार है:-

01. निर्माता अनुज्ञप्ति 38
02. विक्रेता अनुज्ञप्ति 655
03. सुधारक अनुज्ञप्ति 560

बजट -

नाप-तौल कार्यालय का बजट मुख्यतः आयोजनेत्तर है। केन्द्र शासन एवं राज्य शासन से विशेष कार्यों के लिये प्राप्त राशियां आयोजना मद में स्वीकृत होती हैं विगत 03 वर्षों में आयोजनेत्तर/आयोजना बजट में निम्नानुसार राशि स्वीकृत/व्यय हुई है:-

मांग संख्या 39 नाप-तौल

(राशि लाख रुपये में)

स.क्र.	वित्तीय वर्ष	बजट आयोजनेत्तर	व्यय आयोजनेत्तर	बजट आयोजना	व्यय आयोजना
1	2	3	4	5	6
01	2015-16	1695.12	1181.83	223.01	143.42

वर्ष 2015-16 के लिए आयोजनेत्तर/आयोजना प्रावधान एवं व्यय की जानकारी निम्नानुसार है:-

(राशि हजार रुपये में)

क्र.	मद	बजट	व्यय (दिनांक 01.04.2015 से 31.01.2016)	रिमार्क
01	<u>आयोजनेत्तर</u> नाप-तौल विभाग			
	शीर्ष शीर्ष 3475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ 106 - भार और माप का विनिमय 6112 - मुख्यालय एवं संभागीय कार्यालय			
	मानदेय 1695.12 भारित 0.60		1181.83 निरंक	स्थापना से संबंधित व्यय है।
02	<u>आयोजना</u>			
03	शीर्ष शीर्ष 3475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ 0101 - राज्य आयोजना सामान्य 6113- संभागीय कार्यालय का सुदृढीकरण 63-001- 40.00		निरंक	आयोजना में प्रयोगशाला सह कार्यालय भवनों का निर्माण मानक उपकरणों का क्रय तथा विभाग की गतिविधियों को कम्प्यूटराईज की जाने के लिये साफ्टवेयर संबंधी

	8808 - सूचना एवं प्रोद्यो. 31-010 - 10.00	6.95	कार्यवाही की जा रही है।
	0801- केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य 64-002 - 165.00	130.91	पी.डब्ल्यू.डी. बीसीओ में व्यय हेतु स्थानांतरित किया गया
	31-010 - 6.01	5.57	5.57

नापतौल

विभाग में आयोजना/आयोजनेत्तर बजट की जानकारी निम्नानुसार है:-

	एक - एक राजस्व अनुभाग		
	नापतौल विभाग (आयोजनेत्तर)		
1.	शीर्ष 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं -106 तौल और माप का विनिमय		
	6112-मुख्यालय एवं संभागीय कार्यालय	16,95,12,000 60000	1,181,83,000 -
	कुल योग (आयोजनेत्तर) मतदेय भारित	16,95,12,000 60000	1,181,83,000 -

	नापतौल विभाग (आयोजना)		
1.	6113- संभागीय कार्यालय का सुदृढीकरण मतदेय भारित	2,23,01,000 -	1,43,42,000 -
	योग	2,23,01,000	1,43,42,000

मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग

उपभोक्ता के शोषण को समाप्त करने व उपभोक्ताओं की वाजिब शिकायतों को कम खर्चीले, त्वरित, सरल तथा सुलभ तरीके से निराकरण करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य स्तर पर दिनांक 01.01.1990 को भोपाल में मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग का गठन किया गया है जिसने दिनांक 01.09.1990 से कार्य करना प्रारंभ किया। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश राज्य में 48 जिला मुख्यालयों पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम गठित किये गये हैं जिसमें से 24 जिलों में पूर्णकालिक एवं शेष 24 जिलों में अंशकालिक रूप से जिला फोरम कार्यरत हैं। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग भोपाल की श्रृंखला बैठक जबलपुर, इन्दौर तथा ग्वालियर में स्थापित की गयी है। ऐसी शिकायतें जिनमें उपभोक्ता वस्तु/सेवा का मूल्य रुपये 20.00 लाख तक होता है, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं। यदि शिकायत रुपये 20.00 लाख से रुपये 1.00 करोड़ तक की होती है तो उपभोक्ता ऐसी शिकायतों को राज्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। यदि कोई पक्षकार जिला फोरम के निर्णय/आदेश से असंतुष्ट होता है तो वह ऐसे आदेश के 30 दिन के भीतर राज्य आयोग में अपील प्रस्तुत कर सकता है। प्रदेश में राज्य आयोग तथा जिला उपभोक्ता फोरम कार्यरत हैं और उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण इनके द्वारा किया जा रहा है।

2. वर्तमान में राज्य आयोग में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है:-

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1.	अध्यक्ष	1	1	0
2.	सदस्य	3	3	0
3.	रजिस्ट्रार	1	1	0
4.	प्रशासनिक अधिकारी	1	0	1
5.	निज सचिव	1	1	0
6.	अकाउन्टेन्ट	1	1	0
7.	क्लर्क ऑफ कोर्ट	1	1	0
8.	स्टेनोग्राफर	4	4	0
9.	लायब्रेरियन	1	1	0
10.	असिस्टेंट	2	2	0
11.	स्टेनोटाइपिस्ट	1	1	0

12.	रीडर	2	2	0
13.	नाजिर कम रिकार्ड कीपर	1	1	0
14.	आफिस मोहरिर कम डिस्पेचर	1	1	0
15.	निम्न श्रेणी लिपिक	4	4	0
16.	फाइलिंग क्लर्क	1	0	1
17.	वाहन चालक	2	2	0
18.	प्रोसेस सर्वर	1	1	0
19.	भृत्य	9	9	0
20.	फाइलिंग भृत्य	1	1	0
21.	फर्राश	1	1	0
योग		40	39	01

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1	अध्यक्ष	25	15	10
2	सदस्य	102	78	24
3	क्लर्क ऑफ कोर्ट	20	16	04
4	स्टेनोग्राफर	25	24	01
5	रीडर /नाजिर/उ.श्रे.लि. लेखा	52	49	03
6	स्टेनोटाइपिस्ट	29	01	28
7	आफिस मोहरिर कम डिस्पेचर/रीडर/नि.श्रे.लि	54	28	26
8	आफिस मोहरिर कम डिस्पेचर कलेक्टर दर पर	7	5	02
9	वाहन चालक	15	13	02
10	वाहन चालक कलेक्टर दर	7	0	7
11	प्रोसेस सर्वर/भृत्य/फर्राश	84	78	06
12	प्रोसेस सर्वर/भृत्य/फर्राश कलेक्टर दर पर	41	36	05
योग		461	343	118

4. वर्तमान में इन्दौर, उज्जैन, रीवा, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, सागर, होशंगाबाद, मुरैना, गुना, मंदसौर, सिवनी, धार, सतना, खण्डवा, शिवपुरी, भिण्ड, छिन्दवाड़ा, विदिशा, रतलाम, कटनी, दमोह मण्डला तथा छतरपुर जिले में पूर्णकालिक जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम कार्यरत हैं तथा सीधी, राजगढ़, शाजापुर, मण्डलेश्वर (खरगौन), देवास,

सीहोर, बैतूल, बड़वानी, बालाघाट, शहडोल, पन्ना, झाबुआ, नरसिंहपुर, टीकमगढ़, दतिया, रायसेन, उमरिया, डिण्डोरी, हरदा, नीमच, श्योपुरकला, अशोकनगर, अनूपपुर तथा बुरहानपुर कुल 24 जिलों में अंशकालिक उपभोक्ता फोरम कार्यरत हैं, जो पूर्णकालिक जिला फोरम से सम्बद्ध किये गये हैं, जिनका उल्लेख निम्नानुसार है:-

क्र०	पूर्णकालिक जिला फोरम	क्र०	अंशकालिक जिला फोरम
1	मुरैना	1	सीधी
2	ग्वालियर	2	राजगढ़
3	गुना	3	शाजापुर
4	इन्दौर	4	मण्डलेश्वर (खरगौन)
5	खण्डवा	5	देवास
6	उज्जैन	6	सीहोर
7	मंदसौर	7	बैतूल
8	भोपाल	8	बड़वानी
9	होशंगाबाद	9	बालाघाट
10	सागर	10	शहडोल
11	जबलपुर	11	पन्ना
12	सिवनी	12	झाबुआ
13	रीवा	13	नरसिंहपुर
14	सतना	14	टीकमगढ़
15	धार	15	दतिया
16	छिन्दवाड़ा	16	रायसेन
17	शिवपुरी	17	उमरिया
18	विदिशा	18	डिण्डोरी
19	भिण्ड	19	हरदा
20	रतलाम	20	नीमच
21	कटनी	21	श्योपुरकला
22	छतरपुर	22	अशोकनगर
23	दमोह	23	अनूपपुर
24	मण्डला	24	बुरहानपुर

नवगठित 3 जिले सिंगरौली, अलीराजपुर तथा आगरा में जिला फोरम का गठन की कार्यवाही प्रचलित है ।

5. वित्तीय वर्ष 2015-16 में बजट आवंटन और व्यय की 31.01.2016 की स्थिति में जानकारी निम्नानुसार है:-

मांग संख्या 39	आयोजनेत्तर	आयोजना	व्यय
मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग 629- उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ मतदेय	19,85,39,600.00	-	1,10,77,50,48,100
भारत सरकार द्वारा स्ट्रेन्थिनिंग ऑफ कंज्यूमर फोरा योजनान्तर्गत उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता:-	--	4,20,00,000.00	00.00
1. मीडिएशन सेंटर एवं फोरमों के भवन निर्माण हेतु उपलब्ध कराई गई राशि		73,89,500.00	00.00
2. जिला फोरम्स को फर्नीचर एवं उपकरण उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रदत्त राशि			

6. प्रदेश के 24 पूर्णकालिक जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा प्रकरणों की जानकारी ऑनलाईन उपलब्ध कराई जा रही है।

राज्य आयोग एवं जिला फोरम्स में प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है:-

(अवधि दिनांक 31.01.16)

कार्यालय	संस्थित प्रकरण	निराकृत प्रकरण	लंबित प्रकरण	निराकरण का प्रतिशत
म.प्र. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग	48981	41209	7772	84.13
समस्त 48 जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम	216350	198213	18137	91.61

मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग

आयोजनेत्तर मद में आवंटित बजट/व्यय की जानकारी निम्नानुसार है:-

एक एक राजस्व अनुभाग			
मांग संख्या-39- शीर्ष-2408-खाद्य भंडारण और भंडागारण-01-खाद्य			
मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग			
1.	629-उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ (आयोजनेत्तर)	19,85,39,600	11,07,75,048
	योग आयोजनेत्तर शीर्ष	19,85,39,600	11,07,75,048

मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज़ कार्पोरेशन

सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजना की संक्षेपिका-

प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत दिनांक 01 मार्च, 2014 से मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज़ कार्पोरेशन द्वारा प्राथमिकता परिवार, अन्त्योदय अन्न योजना के परिवार, कल्याणकारी संस्था योजना, मध्यान्ह भोजन योजना एवं पोषणाहार योजनांतर्गत 190 प्रदाय केन्द्रों के माध्यम से द्वार प्रदाय योजनांतर्गत लिंक समितियों एवं उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से प्रदेश के पात्र परिवारों को खाद्यान्न, शक्कर एवं नमक का प्रदाय किया जा रहा है।

कार्पोरेशन द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में सहकारी संस्थाओं के माध्यम से कृषकों से समर्थन मूल्य पर गेहूं एवं धान का उपार्जन किया जा रहा है। वर्ष 2015-16 में कार्पोरेशन के द्वारा 73.10 लाख मे.टन गेहूं ; 12.65 लाख मे.टन धान का उपार्जन किया गया है जिसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत चिन्हित प्राथमिकता एवं अन्त्योदय अन्न योजना परिवारों को वितरण किया जा रहा है।

मध्यान्ह भोजन योजना-

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जिलेवार प्रदत्त किए गए आवंटन को प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के छात्र/छात्राओं को दोपहर का पका भोजन बनाने के लिए 100 ग्राम प्रति छात्र के मान से प्राथमिक शालाओं एवं 150 ग्राम प्रति छात्र के मान से माध्यमिक शालाओं के छात्रों को प्रदाय किया जा रहा है।

कल्याणकारी योजना एवं अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्रावासों छात्र/छात्राओं के लिए खाद्यान्न वितरण की योजना-

कल्याणकारी संस्थाओं के लिए खाद्यान्न की इस योजनांतर्गत राज्य शासन द्वारा जिलेवार प्रदत्त किए गए आवंटन को निराश्रित व्यक्तियों की संस्थाओं, मदरसों, वृद्धाश्रमों, नारी निकेतन एवं अनाथ आश्रमों को बीपीएल दर पर 11 किलोग्राम प्रति हितग्राही के मान से बीपीएल दर पर खाद्यान्न प्रदाय किया जाता है।

अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रावासों के छात्र/छात्राओं के लिए जारी किए जाने वाले आवंटन को प्रदाय केन्द्रों से उठाकर उक्त छात्रावासों में पहुंचाया जाता है। माह नवम्बर, 2014 से अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को रु. 1.00 प्रति किलो गेहूं एवं चावल उपलब्ध कराया जा रहा है।

पोषणाहार-

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिलेवार प्रदत्त किए गए आवंटन को कार्पोरेशन के प्रदाय केन्द्रों से बीपीएल दर पर उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से स्व-सहायता समूह को खाद्यान्न प्रदाय किया जाता है।

शक्कर-

भारत सरकार द्वारा माह जून, 2013 से शक्कर लेव्ही नियंत्रण मुक्त करने के कारण राज्य सरकार को रु. 18.50 प्रति किलोग्राम अनुदान की राशि देने पर राज्य सरकार द्वारा खुले बाजार से शक्कर क्रय कर प्राथमिक एवं अन्त्योदय अन्न योजना के हितग्राहियों को रु. 13.50 प्रति किलोग्राम प्रति राशनकार्ड एक किलोग्राम के मान से प्रदाय की जा रही है।

आयोडीनयुक्त नमक का विक्रय-

इस योजना में समस्त पात्र परिवारों को रु. 1.00 प्रति किलो प्रतिमाह की दर से आयोडीनयुक्त आई.एस.आई. मार्क रिफाइण्ड नमक का वितरण किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन

मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन वर्तमान में 281 शाखाओं पर 77.34 लाख मे.टन औसत क्षमता की स्थिति में कार्यशील है। मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन का प्रमुख उद्देश्य कृषकों/जमाकर्ताओं को अपने कृषि उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त हो इसके लिए स्कंध के वैज्ञानिक भंडारण हेतु गोदामों का निर्माण करना तथा वैज्ञानिक भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराना है। विगत 2 वर्षों में मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन की भौतिक एवं वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है:-

भौतिक स्थिति

(क्षमता लाख मे.टन में)

वर्ष	ब्रांचों की संख्या	स्वयं की क्षमता+ केप क्षमता+ पीईजी	किराये की क्षमता + केप क्षमता	जे.व्ही. की क्षमता+ पीईजी	कुल क्षमता
2013-14	281	14.97	02.91	40.70	58.58
2014-15	285	18.18	02.75	50.84	71.77
2015-16 (माह दिसम्बर, 2015 की स्थिति में)	281	22.05	02.31	52.98	77.34

वित्तीय स्थिति

(रूपये लाख में)

वर्ष	आय	व्यय	शुद्ध लाभ
2013-2014	18253.12	13637.51	2437.15
2014-2015	24630.75	14715.67	3947.15
2015-2016 (माह दिसम्बर, 2015 तक प्रावधिक)	28226.16	20080.15	5377.18

मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन कृषकों को वैज्ञानिक भण्डारण की सुविधा का लाभ पहुंचाते हुए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से कृषकों को रियायत प्रदान करता है। सामान्य कृषकों हेतु 30 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों हेतु 40 प्रतिशत भण्डारण शुल्क में रियायत 200 बोरों पर प्रदान की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में मार्च, 2015 तक कृषक जमाकर्ताओं के जमा स्कंध के समक्ष जारी वेयर हाउस की रसीद की प्रतिभूति पर बैंकों द्वारा लगभग रु. 3737.41 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में माह दिसम्बर 2015 तक

कृषक जमाकर्ताओं द्वारा उनके जमा स्कंध के विरुद्ध जारी वेयर हाउस रसीद की प्रतिभूति पर बैंकों द्वारा लगभग रु. 3106.85 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा उपार्जन नीति के अंतर्गत उपार्जित गेहूं के भण्डारण हेतु मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया था। भण्डारण हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करते हुए विगत वर्षों में उपार्जित गेहूं की भण्डारण व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुए मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन द्वारा निम्नानुसार मात्रा का भण्डारण किया गया -

रबी विपणन वर्ष	उपार्जित मात्रा	निगम द्वारा भण्डारित मात्रा
2014-15	71.96 लाख मे.टन	61.17 लाख मे.टन+ 2.78 लाख में.टन (सायलो)
2015-16	73.09 लाख मे.टन	62.14 लाख मे.टन+ 1.41 सायलो बेग+ 1.68 स्टील सायलो

रबी सीजन वर्ष 2015-16 में उपार्जित गेहूं को गोदाम में सुरक्षित भण्डारण करने के लिए निजी क्षेत्र की गोदामों का ऑनलाईन पंजीयन विभिन्न निजी गोदाम संचालकों द्वारा कराया गया। निगम द्वारा संयुक्त भागीदारी योजनान्तर्गत राशि रु. 30/ 40/ 55/ प्रति मे.टन प्रतिमाह के लिए शासन द्वारा साढ़े चार माह की व्यवसाय गारंटी प्रथम भण्डारण दिनांक से गोदाम की पूर्ण क्षमता के लिए प्रदाय की गई है।

प्रदेश में पीपीपी मॉडल पर स्टील सायलो की स्थापना



मध्यप्रदेश में इन्दौर, उज्जैन, देवास, भोपाल, विदिशा, सीहोर, हरदा, होशंगाबाद, एवं सतना जिलों में कुल 9 स्थानों पर 4.50 लाख मे.टन क्षमता का स्टील सायलो प्रोजेक्ट मध्यप्रदेश में प्रथम बार पीपीपी मॉडल पर स्थापित किए गए हैं। मार्च, 2015 तक लगभग 2.00 लाख मे.टन भंडारण क्षमता के प्राप्त स्टील सायलो में वर्ष 2015-16 के उपार्जित गेहूं का 1.68 लाख मे.टन भंडारण किया गया है।

अनुसूचित क्षेत्रों में भण्डारण सुविधा

- वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में समर्थन मूल्य पर उपार्जित खाद्यान्न तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सामग्री के भंडारण हेतु 38 आदिवासी विकासखण्डों में 1,800 मे.टन क्षमता के मान से कुल 68,400 मे.टन क्षमता के गोदाम निर्माण की कार्यवाही प्रगति पर है। इन गोदामों का निर्माण निजी क्षेत्र में आदिवासी युवकों द्वारा किया जाएगा जिसमें राज्य सरकार द्वारा 7 वर्ष की व्यवसायिक गारंटी दी जाएगी।

**मध्यप्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत
प्रचलित पात्र परिवारों की जानकारी**

क्र.	जिला	अंत्योदय अन्न योजना परिवार	प्राथमिकता परिवार	कुल पात्र परिवार
1	आगर	8876	89830	98706
2	अलीराजपुर	5680	125094	130774
3	अनुपपुर	15961	143429	159390
4	अशोकनगर	21080	109229	130309
5	बालाघाट	71440	247331	318771
6	बड़वानी	33764	263080	296844
7	बैतूल	30983	229998	260981
8	भिण्ड	13065	129833	142898
9	भोपाल	32484	289585	322069
10	बुरहानपुर	11009	129044	140053
11	छतरपुर	30394	226933	257327
12	छिन्दवाड़ा	43026	309100	352126
13	दमोह	31535	255069	286604
14	दतिया	5453	96127	101580
15	देवास	21774	203628	225402
16	धार	37284	330748	368032
17	डिण्डोरी	23716	154594	178310
18	गुना	31094	154908	186002
19	ग्वालियर	24761	209276	234037
20	हरदा	6276	69182	75458
21	होशंगाबाद	16052	156642	172694
22	इन्दौर	23308	368490	391798
23	जबलपुर	50219	326144	376363
24	झाबुआ	21709	205210	226919
25	कटनी	10351	201893	212244

26	खण्डवा	28875	224116	252991
27	खरगोन	34127	297257	331384
28	मण्डला	62043	186020	248063
29	मन्दसौर	16568	191396	207964
30	मुरैना	12249	207902	220151
31	नरसिंहपुर	22968	176105	199073
32	नीमच	10630	117474	128104
33	पन्ना	22915	172556	195471
34	रायसेन	25787	195195	220982
35	राजगढ़	26405	250140	276545
36	रतलाम	18546	215250	233796
37	रीवा	60611	323458	384069
38	सागर	46140	404501	450641
39	सतना	65452	341973	407425
40	सीहोर	15274	166395	181669
41	सिवनी	38063	221223	259286
42	शहडोल	44586	164413	208999
43	शाजापुर	11439	142627	154066
44	श्यामपुर	32048	82394	114442
45	शिवपुरी	53936	183872	237808
46	सीधी	33046	178285	211331
47	सिंगरोली	24633	205351	229984
48	टीकमगढ़	30074	202022	232096
49	उज्जैन	23255	249716	272971
50	उमरिया	31387	96091	127478
51	विदिशा	19301	205266	224567
	योग	1431652	10425395	11857047

मध्यप्रदेश में प्रचलित उचित मूल्य दुकानों की जानकारी

क्र.	जिला	शहरी	ग्रामीण	योग
1	2	3	4	5
1.	भिण्ड	106	379	485
2.	मुरैना	114	186	300
3.	शयोपुरकला	19	187	206
4.	ग्वालियर	253	301	554
5.	शिवपुरी	79	618	697
6.	गुना	61	157	218
7.	अशोकनगर	29	191	220
8.	दतिया	50	205	255
9.	इंदौर	344	172	516
10.	धार	73	529	602
11.	झाबुआ	16	250	266
12.	खरगौन	64	434	498
13.	बड़वानी	71	290	361
14.	खण्डवा	63	329	392
15.	बुरहानपुर	62	157	219
16.	उज्जैन	185	412	597
17.	मंदसौर	46	361	407
18.	नीमच	63	195	258
19.	रतलाम	103	309	412
20.	देवास	99	330	429
21.	शाजापुर	41	192	233
22.	भोपाल	277	128	405
23.	बैतूल	51	541	592
24.	सीहोर	48	283	331

25.	रायसेन	42	503	545
26.	विदिशा	71	399	470
27.	राजगढ़	65	389	454
28.	होशंगाबाद	89	334	423
29.	हरदा	35	190	225
30.	सागर	141	749	890
31.	दमोह	54	406	460
32.	टीकमगढ़	77	377	454
33.	छतरपुर	92	564	656
34.	पन्ना	20	398	418
35.	जबलपुर	456	541	997
36.	कटनी	79	391	470
37.	नरसिंहपुर	32	299	331
38.	छिन्दवाड़ा	102	513	615
39.	सिवनी	29	406	435
40.	मण्डला	25	361	386
41.	डिण्डोरी	6	271	277
42.	बालाघाट	38	554	592
43.	रीवा	95	794	889
44.	सतना	101	716	817
45.	सीधी	21	404	425
46.	शहडोल	39	385	424
47.	अनुपपुर	28	295	323
48.	उमरिया	16	236	252
49.	अलीराजपुर	7	178	185
50.	सिंगरोली	42	340	382
51.	आगर-मालवा	27	147	174
योग		4146	18276	22422

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों से वितरित की जाने वाली वस्तुओं की दिनांक 31.01.2015 की स्थिति में उपभोक्ता दरें

(दर रु. प्रति किलो/प्रति लीटर)

क्र.	वस्तु	अन्त्योदय/प्राथमिकता परिवार
1	2	3
1	गेहूं	1.00
2	चावल	1.00
3	मक्का	1.00
4	शक्कर	13.50
5	नमक	1.00
6	मिट्टी तेल (कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर अनुसार)	रु. 15.37 से 19.10 तक

प्रदेश में स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन के जिलेवार प्रदाय केन्द्र

क्र.	जिला	प्रदाय केन्द्रों की संख्या	प्रदाय केन्द्रों का नाम
1.	भिण्ड	04	भिण्ड, गोहद, मेहगांव, लहार
2.	मुरैना	06	मुरैना, अम्बाह, पोरसा, जौरा, कैलारस, सबलगढ़,
3.	शयोपुरकलॉ	03	विजयपुर, शयोपुरकलॉ, कराहल
4.	ग्वालियर	02	ग्वालियर, डबरा
5.	शिवपुरी	03	शिवपुरी, करैरा, पिछोर
6.	गुना	04	गुना, राघौगढ़, आरोन, बीनागंज
7.	अशोकनगर	02	अशोकनगर, मुंगावली
8.	दतिया	03	दतिया, सैंवड़ा, भांडेर
9.	इंदौर	04	इंदौर, महू, देपालपुर, सांवेर
10.	धार	06	धार, बदनावर, कुक्षी, धामनोद, मनावर, राजगढ़
11.	झाबुआ	03	झाबुआ, मेघनगर, पेटलावद
12.	अलीराजपुर	02	अलीराजपुर, जोबट
13.	खरगौन	05	खरगौन, सनावद, कसरावद, भीकनगांव, करही
14.	बड़वानी	04	बड़वानी, सैंधवा, अंजड़, पानसेमल
15.	खण्डवा	03	खण्डवा, छनेरा)हरसूद (खालवा
16.	बुरहानपुर	01	बुरहानपुर
17.	उज्जैन	06	उज्जैन, महिदपुर, तराना, खाचरोद, बड़नगर, नागदा
18.	मन्दसौर	04	मन्दसौर, शामगढ़, पिपल्यामंडी, सीतामऊ
19.	नीमच	02	नीमच, मनासा
20.	रतलाम	04	रतलाम, जावरा, आलौट, सैलाना
21.	देवास	05	देवास, सोनकच्छ, खातेगांव, कन्नौद, बागली
22.	शाजापुर	02	शाजापुर, शुजालपुर
23.	भोपाल	02	भोपाल, बैरसिया
24.	बैतूल	04	बैतूल, मुलताई, भैंसदेही, आठनेर
25.	सीहोर	05	सीहोर, आष्टा, नसरुल्लागंज, इछावर, बुधनी
26.	रायसेन	09	रायसेन, सलामतपुर, उदयपुरा, गैरतगंज, बाड़ी, बरेली, सिलवानी, औबेदुल्लागंज, बेगमगंज
27.	विदिशा	06	विदिशा, गंजबासौदा, कुरवाई, सिरोंज, लटेरी, शमशाबाद

क्र.	जिला	प्रदाय केन्द्रों की संख्या	प्रदाय केन्द्रों का नाम
28.	राजगढ़	06	राजगढ़, ब्यावरा, नरसिंहगढ़, सारंगपुर, खिलचीपुर, पचोर
29.	होशंगाबाद	05	होशंगाबाद, इटारसी, पिपरिया, बानापुरा, सोहागपुर,
30.	हरदा	03	हरदा, खिरकिया, टिमरनी
31.	सागर	05	सागर, खुरई, बीना, देवरी, रहली,
32.	दमोह	03	दमोह, हटा, तेन्दूखेड़ा,
33.	टीकमगढ़	04	टीकमगढ़, निवाडी, जतारा, बल्देवगढ़
34.	छतरपुर	05	छतरपुर, हरपालपुर, बड़ामलहेरा, लोड़ी, चंदला
35.	पन्ना	04	पन्ना, पवई, अजयगढ़, अमानगंज
36.	जबलपुर	02	जबलपुर, सिहोरा
37.	कटनी	01	कटनी,
38.	नरसिंहपुर	04	नरसिंहपुर, गोटेगांव, करेली, गाडरवारा
39.	छिन्दवाड़ा	05	छिन्दवाड़ा, पांढूनी, सौसर, तामिया, अमरवाड़ा
40.	सिवनी	03	सिवनी, लखनादौन, धूमा
41.	मण्डला	04	मण्डला, नैनपुर, बिछिया, निवास,
42.	डिंडोरी	01	डिंडोरी
43.	बालाघाट	06	बालाघाट, वारासिवनी, बैहर, कटंगी, लालबर्ग
44.	रीवा	04	रीवा, चाकघाट, मउगंज, सिरमौर
45.	सतना	04	सतना, नागौद, मैहर, अमरपाटन
46.	सीधी	02	सीधी, मझौली
47.	सिंगरौली	03	बैठन, चितरंगी, देवसर
48.	शहडोल	04	शहडोल, बुढार, ब्यौहारी, जयसिंहनगर
49.	अनूपपुर	03	अनूपपुर, कोतमा, राजेन्द्र ग्राम
50.	उमरिया	02	उमरिया, मानपुर
51.	आगर	03	नलखेड़ा, आगर, सुसनेर
योग		190	

नोट:- सिहोरा प्रदाय केन्द्र जबलपुर एवं कटनी दोनों जिलों से संबंध है।

समर्थन मूल्य के अंतर्गत खाद्यान्न खरीदी की दरों की तुलनात्मक जानकारी

(प्रति क्विंटल रूपयों में)

क्र.	खाद्यान्न	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09
1	गेहूं	620+10	630	640	650	750+100	1000+100
2	धान-कॉमन	550	560	570	580	645+100	850+50
	ग्रेड 'ए'	580	590	600	610	675+100	880+50
3	ज्वार	505	515	525	540	600	840
4	बाजरा	505	515	525	540	600	840
5	मक्का	505	525	540	540	620	840

क्र.	खाद्यान्न	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16
1	गेहूं	1080+ 50	1100+ 100	1120+ 100	1285+ 100	1350+ 150	1400+ 150	1450
2	धान- कॉमन	950+ 50	1000+ 50	1080+ 50	1250+ 100	1310+ 150	1360	1410
	ग्रेड 'ए'	980+ 50	1030+ 50	1110+ 50	1280+ 100	1345+ 150	1400	1450
3	ज्वार	840	880	880	1500	-	1530	-
4	बाजरा	840	880	880	1175	1500+150	1250	-
5	मक्का	840	880	880	1175	1310+150	1310	1325

समर्थन मूल्य के अंतर्गत खाद्यान्न उपार्जन की मात्रा

(मात्रा मे.टन में)

खाद्यान्न	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
धान	148623	40252	129552	104364	100133	223782
ज्वार	798	-	218	-	00	1292
बाजरा	87	320	0	-	00	5387
मक्का	20177	1305	2788	-	754	53198
गेहूं	348713	348713	484351	-	57447	2409576

खाद्यान्न	2009 - 2010	2010 - 2011	2011 - 12	2012 - 13	2013 - 14	2014 - 15	2015 - 16
धान	153628	390917	796997.70	698678	1564502	1193957	1265309
ज्वार	0	38	-	5696	-	-	-
बाजरा	26	0	-	-	-	-	-
मक्का	266	8875	16851	2250	86573	304465	22962
गेहूं	1963389	3537550	4964956.76	8500.67	6351519	7200974	7310040

परिशिष्ट-सात

**पेट्रोलियम कंपनियों के पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल तथा
एल.पी.जी. डीलर्स की जानकारी**

पेट्रोल/डीजल पम्प	केरोसीन डीलर्स	एल.पी.जी. डीलर्स
3157	295	1185

परिशिष्ट-आठ

पेट्रोलियम कंपनियों के एल.पी.जी. बॉटलिंग प्लांट

क्र.	बॉटलिंग प्लांट	आई.ओ.सी.	बी.पी.सी.	एच.पी.सी.	योग
1	बकानिया भौरी, भोपाल	1	0	0	1
2	घटिया, उज्जैन	1	0	0	1
3	ताल राघोगढ़, गुना	1	0	0	1
4	भिटौनी, जबलपुर	0	1	0	1
5	पीथमपुर, धार	0	1	0	1
6	मांगलिया, इंदौर	0	1	1	2
7	मनेरी, मण्डला	0	0	1	1
	योग	3	3	2	8